उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 995 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29 / पाकालि /2013 – 6 काविनी एवं वे०प्र० / 08 दिनांक 02 मार्च, 2013

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषय:– ***उ०प्र० पावर कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी / अधिकारिकों, जो दिनांक 01.01.96 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, को दिनांक 01 जुलाई, 2012 से महंगाई भत्ते का, बढ़ी हुई दर पर भुगतान।***

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 780–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 10–06 काविनी एवं वे0प्र0 / 08 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 एवं 71–वे0प्र0–30 / पाकालि / 06–8वे0प्र0–30 / 06 दिनांक 27 फरवरी, 2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी / अधिकारिक, जो किन्हीं कारणोंवश दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2012 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2012	***मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के योग का 151 प्रतिशत***

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 410–वे0प्र0 (30) / पाकालि / 00–14वे0प्र0(30) / 00 दिनांक 23.08.2000 के प्रस्तर 2, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम – 9 (21) के अन्तर्गत ' वेतन ' नहीं माना जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत् थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्त, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. उक्त आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी / कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय

(क्रमश:.......2)

आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण *(Final Withdrawal)* देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 (माह दिसम्बर, 2012 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2013 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2012 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

8. उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा)/(लागत) द्वारा प्राधिकार–पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(आर० के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

सं० 995 – (1) काविनि एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2013 – तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के निजी सचिव। [redacted]
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के निजी सचिव। [redacted]
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, कस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड, महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर० के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)